the post of Assistant Claim/Commercial Inspectors in scale of Rs. 425—640 was not held for last five years or so; and

(f) if not, the reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (e). The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Conversioin of Purulia-Kotshila Line

5174. SHRI BASUDEB ACHARYA:
SHRI AJIT KUMAR SAHA:
SHRI KRISHNA CHANDRA HALDAR:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) steps taken to expedite the proposed Preliminary Engineering cum-traffic Survey regarding the conversion of the Purulia-Kotshila narrow gauge section into broad gauge; and

(b) if not, when the survey is expected to start and details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). Field survey has already been completed in respect of Engineering portion and more than 50 per cent of the traffic survey is also over. Estimates and report are under compilation.

स्थानान्तरण के बावजूद सरकारी आवास खाली न किया जाना

5175. **श्री दया राम शाक्य:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर रेलवे के ऐसे कितने डी० आर० एम० और अन्य रेल अधिकारी हैं जिनका 1978 से ले कर अब तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है और जिन्होंने अपने पुराने मुख्यालय में अवंटित सरकारी आवास अभी तक खाली नहीं किए हैं और उन्होंने कितनी अवधी तक उस आवास पर कब्जा बनाए रखा और तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि स्थानान्तरण 1980 से फरवरी, 1982 की अवधि के दौरान किया गया और यदि उनके द्वारा अभी तक आवास खाली नहीं किया गया है, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार अधिकारियों के प्रति तो उदार रवैया अपना रही है जबकि वह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रति कठोर कार्यवाही करती है और इस प्रकार की कार्यवाही के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

विवरण

(क) और (ख). नियमों के अनुसार स्थानान्तरण होने पर रेल अधिकारी/कर्मचारी आमतौर पर 2 महीने तक रेल क्वार्टर अपने पास रख सकते हैं। नियमों में निर्दिष्ट परिस्थितियों में 2,4 अथवा 6 माह की अवधि के लिए पुन: क्वार्टर अपने पास रखने की भी अनुमति भी दी जा सकती है। बहरहाल, विशेष मामलों में रेल मंत्रालय उपर्युक्त अवधि के बाद भी क्वार्टर अपने पास रखने की अनुमति दे सकता है।

उत्तर रेलव में ऐसे 25 अधिकारी हैं, जो स्थानान्तरण के बाद भी क्वार्टर